उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

29/2025

राजुराम मेघवाल पुत्र स्व. मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज. आ. न. 5969 4389 0435

.....वादी

बनाम

1 श्रीमती मैना पुत्री मुकनाराम मेघवाल सूरवास पत्नि स्व. पीराराम निवासी ग्राम हेमासर आथुणा तहसील बीदासर जिला चूरू
2 भंवराराम पुत्र झिंटाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
3 सुल्तानाराम पुत्र झिंटाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
4 ईशरराम पुत्र झिंटाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
5 भागुराम पुत्र झिंटाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
6 चम्पादेवी पुत्री झिंटाराम मेघवाल सूरवास पत्नि श्री तुलछाराम मेघवाल निवासी डूँगरास आथूणा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 लाली पुत्री झिंटाराम मेघवाल सूरवास पत्नि भंवराराम मेघवाल निवासी निम्बी तहसील लाड़नू जिला डिडवाना कुचामन
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादीगण

1 किस्तुरी देवी पत्नि मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
2 सवाईराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
3 नानूराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
4 निरजाराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
5 लिछमा पुत्री मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
6 परमादेवी पुत्री मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
अनकी देवी पुत्री मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.
8 मुन्नीदेवी पुत्री मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सूरवास पोस्ट गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राज.

गौण प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं
...क प्रमाणों के आधार पर धारा 88ए, 188ए, 53 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...स्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 6, गौण प्रति. स. 1,2,3, 5 ता 8 श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 8 – पैरोकार राज.

दिनांक :– 28/4/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम ढ़िगारीया में मुताबिक जमावन्दी संवत् 2076–2079 खाता नम्बर 9 खसरा नम्बर 377 रकबा 3.3387 हैक्टेयर (13–04 बीघा) उमा पुत्र मुकना हिस्सा 1/2, मंगतुराम पुत्र मुकना 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादगत भूमि की खातेदारा उमा पत्नि मुकनाराम का स्वर्गवास होने के बाद उमा के विधिक वारिसान द्वारा वारिसान की जांच करवा कर उमा के वारिसान प्रतिवादी स. 1 मैना व प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 के पिता झिंटाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा पांती का हक परित्याग कर वादी के पिता मंगतुराम के पक्ष में पंजीकृत हक परित्याग लेख पत्र दिनांक 29.06.2018 को कार्यालय उप पंजीयक बीदासर में हाजिर होकर पंजीकृत करवा दिया था तथा अपने हक हिस्सा की भूमि का कब्जा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता मंगतुराम को सम्भला दिया था हक परित्याग करने के बाद से वादी के पिता वादगत भूमि सम्पति सम्पूर्ण खसरा को काष्त किया तथा वादी के पिता मंगतुराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के कब्जा काष्त में है वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता मंगतुराम ग्रामीण परिवेष के कृशि पेषा अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण वादगत खातेदारी भूमि के रेकार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं रही तथा पटवारी हल्का को उमा का मृत्यू प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा और हक तर्क देकर विरासतन, हक तर्क के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने की जानकारी नहीं होने के कारण वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता मुकनाराम कागजात मृत्यू प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, हक तर्क लेख पत्र घर ले जाकर रख लिया था वादी एवं गौण प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से अपने पिता मंगतुराम की सम्पूर्ण खसरा भूमि में विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतू सम्पर्क किया तब वादी एवं गौण प्रतिवादीगण को खाते में उमा का नाम दर्ज चले आने की जानकारी हुई तब वादी ने ई मित्र पर जाकर फर्दखाता निकलवाया तो राजस्व रेकार्ड में उमा का विरास्तन नामान्तरण दर्ज नहीं होने एवं हक तर्क के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तथा उमा ध.प. स्व. मुकना से उमा पुत्र मुकना नाम अषुद्ध दर्ज होने की भी जानकारी हुई वादी एवं गौण प्रतिवादीगण पंजीकृत हक तर्क के आधार पर वादगत भूमि के काबिज काष्तकार एवं खातेदार है जिनको राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने अपनी दादी उमा के नाम से चल रहे हिस्सा भूमि में विरास्तन नामान्तरकण दर्ज करवाने एवं हक तर्क को मानने से मना किया एवं वादी को कहा की हम हिस्सा लेगे। गौण प्रतिवादीगण का हित वादी के समान है लेकिन कृशि, मजदूर पेषा व्यक्ति होने एवं महिलाजात होने के कारण पैरवी के लिए बार बार न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ होने के कारण मंगतुराम के बाकी वारिसान को पक्षकार गौण प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया है। वादी के द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा कर खातेदारी भूमि मुताबिक हक तर्क एवं कब्जा काष्त दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया तथा प्रतिवादी गलत खातेदारी के आधार पर चल रहे हिस्सा पांती अनुसार वादी के कब्जा काष्त एवं हिस्सा पांती

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पर जबरन कब्जा करने की कुचेश्टा करने लगे तथा ऐलानिया तौर पर धमकीया देने लगे की राजस्व हम प्रतिवादीगण का जितना हिस्सा बनता है उस पर हम कब्जा करेगे। दिनांक 10/02/2025 दस सन् दो हजार पच्चीस को प्रतिवादी सख्या 1 एक ता 7 सात ने वादी को ऐलानिया धमकीया दी और की हम हक तर्क को नहीं मानते हम उमा के हिस्सा में हिस्सा लेगे आदि ऐलानिया धमकीया दी। वादीगण 1 ता 7 ने वादी एवं गौण प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादित खेत में उमा की गलत और आधार दर्ज खातेदारी की आड़ में विरासतन दर्ज करवा कर हस्तान्तरण करने की कुचेश्टा में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 10–2–2025 को ऐलानिया धमकी दी है इस कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवष्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादी एवं गौण प्रतिवादीगण वादगत भूमि के खातेदार एवं कब्जेधारी काष्तकार है इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है। वादगत भूमि रोही ढ़िगारीया तहसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसरा के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है। दावा घोशणात्मक, रेकार्ड षुद्धि एवं चिर निशेधाज्ञा प्राप्ती है जो 10/– रूपये के न्याय षुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोशित किया जावे खेत खसरा नम्बर 377 का वर्तमान अंकन हक तर्क के मुकाबले अवैध एवं षून्य है जिसको हटाया जाकर रोही ढ़िगारीया के खसरा नम्बर 377 रकबा 3.3387 हैक्टेयर खातेदारी वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के नाम ब. हि. बराबर की जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जरिये चिर निशेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि विवादित खसरा में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में प्रवेष करने, काष्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 7 उपरोक्त विवादित खेत में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के हिस्सा पांती एवं कब्जा काष्त की भूमि को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेष नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य क़रें जिससे वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के वैध अधिकारों पर असर पड़े आदि आदि अनुतोश चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की तरफ से श्री अख्तर सोलंकी ने वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया, गौण प्रतिवादी सख्या 1 ता 3, 5 ता 8 की और से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत। प्रतिवादी सख्या 7 व गौण प्रतिवादी स. 4 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रकरण में प्रतिवादी स. 8 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य वादी में वादी राजुराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता नम्बर 9 खसरा नम्बर 377 प्रदर्श–1, हक परित्याग लेख पत्र प्रदर्श–2, वारिसान जांच रिपोर्ट प्रदर्श–3 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वादी ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई, प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। बहस अन्तिम सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। साररूप से वाद एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समर्ग अवलोकन से इस प्रकरण में यह प्रकट स्थिति है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ एवं साक्ष्य से यह भी स्थापित हुआ है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 377 की वर्तमान रेकॉर्डेड खातेदारा उमा पत्नि मुकनाराम के वारिसान झिंटारा, मैना द्वारा अपना हिस्सा जरिये प्रंजीकृत हक परित्याग के

लगातार.....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

मि के पक्ष में परित्याग किया जा चुका है हकतर्क के बाद सम्पूर्ण खसरा भूमि वादी के पिता के कब्जा त में एवं वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद वादी एवं गौणप्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है फलतः दगत खेत की खातेदारी में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नहीं किये जाने से वादगत खेत की र्तमान खातेदारी वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के अधिकारों के सामने शून्य हो जाती है और वादी वादगत खेत की खातेदारी में अपने एवं गौण प्रतिवादीगण नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है व चिर निषेधाज्ञा व वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश किया जाता है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 377 रकबा 3.3387 हैक्टेयर रोही ढ़िगारीया वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के ब.हि. बराबर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर भू धारक तहसीलदार बीदासर प्रतिवादी स. 8 को आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 377 के वर्तमान अंकन को हटाया जाकर वादी व गौणप्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम खातेदारी ब. हि. बराबर दर्ज की जावे तथा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 के विरूद्ध उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है जो वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करेगे, उपरोक्त प्रकार के अनुतोशो के लिए व वादगत खेत की खातेदारी के रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के लिए डिक्री जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28 / 4 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

दालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी .....मुकाम.....बीदासर जिला चूरू .....व
स.....पीठासीन अधिकारी..... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

राजुराम बनाम श्रीमती मैना आदि

दावा बाबत .....घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर..29 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ..... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व .....अख्तर सोलंकी व पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 377 रकबा 3.3387 हैक्टेयर रोही ढ़िगारीया वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के ब.हि. बराबर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर भू धारक तहसीलदार बीदासर प्रतिवादी स. 8 को आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 377 के वर्तमान अंकन को हटाया जाकर वादी व गौणप्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम खातेदारी ब. हि. बराबर दर्ज की जावे तथा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 के विरूद्ध उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करेगे। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

फीस .....मुबलिग.....बाबत .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....
.....को अदा करें।

बसंब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 4 2025

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)